# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

निगरानी संख्याः 06/2019 नगर पालिका अधिनियम 2009
GCMS No. 2019/00167

सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री शीतलसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 25 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— निगरानीकर्ता

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र श्री मनोहर सिंह यादव निवासी 139 गांधीनगर बीकानेर।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. अधिशीषी अधिकारी, नगर पालिका अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
श्री नवीन कुमार सारस्वत — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2,3

## निर्णय

दिनांक 20.07.2022

यह निगरानी अंतर्गत धारा 73(2) नगरपालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा जारी पट्टा जो जरिये मिसल नंबर 138 क्रमांक 157 दिनांक 12.11.1958 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूखण्ड संख्या 10/111 जो जरिये मिसल नंबर 138 क्रमांक 157 दिनांक 12.11.1958 को नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह के नाम जारी हो रखा है। निगरानीकर्ता ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता ने एक वाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष पेश किया जिसे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील को भी न्यायालय ने खारिज करने के आदेश पारित कर दिये। पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूखण्ड के आवंटन को सही बताया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 10/111 के पट्टे को निरस्त करवाने बाबत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के नाम से जारी उक्त पट्टा गलत, विधि विरूद्ध एवं फर्जी है। निगरानीकर्ता संख्या 1 का भाई सुरेन्द्र कुमार नगर पालिका अनूपगढ़ का सन् 1984 में अध्यक्ष रहा था। सुरेन्द्र कुमार ने उक्त पट्टा दिनांक 12.11.1958 नगरपालिका की पट्टा बुक मे कांट छांट व ओवरराईटिंग करके फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा दिनांक 10.01.2017 में प्रेषित रिपोर्ट में यह स्पष्ट माना है कि नियमानुसार एक पट्टे में एक ही भूखण्ड दर्शाया जा सकता है। भूखण्ड संख्या 10 व 111 भौगोलिक रूप से काफी दूरी पर है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा तथाकथित पट्टा अपने नाम दिनांक 12.11.1958 का बताया है जबकि गैरनिगरानीकर्ता की उम्र उस समय करीब 6–7 वर्ष ही थी, उस समय वह नाबालिग होने के कारण पट्टा आरंभ से ही विधिविरूद्ध है। निगरानीकर्ता पिछले काफी समय से तथाकथित भूखण्ड पर काबिज है एवं सुविधा अनुसार निर्माण भी करवा रखा है। इसलिए निगरानीकर्ता को निगरानी पेश करने का कानूनी अधिकार है जिसकी अनुमति के लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। निगरानी जानकारी के बाद से अंदर मियाद है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित पट्टे को निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 श्री बालकिशन शर्मा ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि यह निगरानी मियाद बाहर है। विवादित पट्टा सन् 1958 में जारी हो रखा है, जिसके विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता पट्टाधारक को आवंटन के समय नाबालिग बता रहे है, किन्तु यह बिन्दु इस न्यायालय में विचारणीय नहीं है। भूखण्ड आवंटन से संबंधित समस्त कार्यवाही नगरपालिका द्वारा विधिवत रूप से की गई है। पट्टा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवंटन नियमानुसार राशि जमा करवाकर दोनो भूखण्डो का हवाला देते हुआ जारी हुआ है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

4— विद्वान अभिभाषक गैरनिगरानीकर्ता 2 व 3 श्री नवीन कुमार सारस्वत ने अपनी बहस के दौरान अवगत कराया कि निगरानीकर्ता सुखविन्द्र सिंह एक अजनबी व्यक्ति है जिसका विवादित आवंटन से कोई सरोकार नहीं है और न ही निगरानीकर्ता को विवादित आवंटन को चुनौती देने की कोई लोकस्स्टेण्डाई (अधिकारिता) है। निगरानीकर्ता ने वादगत आवंटन के निरस्तीकरण बावत नगरपालिका अनूपगढ़ में आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं और न ही इस संबंध में कोई पत्रावली नगरपालिका अनूपगढ़ में विचाराधीन रही है। पुलिस अनुसंधान में भी निगरानीकर्ता को अदम वकू मानते हुए नकारात्मक प्रतिवेदन लगाकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 13.04.2016 को खारिज किया जा चुका है। विवादित भूखण्ड के संबंध में नगरपालिका अनूपगढ़ ने अनापति प्रमाण पत्र संख्या 1205 दिनांक 10.07.2008 को जारी किया हुआ है। पट्टा संख्या 10/111 एक ही पट्टा है। विवादित भूखण्ड के नजदीक भूखण्ड संख्या 9 है जिसका पट्टा पृथक से जारी हो रखा है। निगरानीकर्ता ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र लगाकर निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

5— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रथमतः निगरानी को क्षेत्राधिकार में शुमार किया जाता है। निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष विवादित भूखण्ड से संबंधित एक वाद पेश किया, जिसे दिनांक 13.04.2016 को न्यायालय ने खारिज करते हुए डिक्री पर्चा बनाने के आदेश दिए। तत्पश्चात् निगरानिकर्ता ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को न्यायालय ने दिनांक 03.02.2020 को अस्वीकार कर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 13.04.2016 की पुष्टि करते हुए डिक्री पर्चा तैयार करने के आदेश पारित किये।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि निगरानीकर्ता को भूखण्ड संख्या 10 के आवंटन के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने की लोकस्स्टेण्डाई (अधिकारिता) नहीं है। भूखण्ड संख्या 10 का आवंटन गलत हुआ है इस तथ्य का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। निगरानीकर्ता द्वारा सन् 1958 में जारी हुए पट्टे को अब चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।। पुलिस अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा जारी पट्टा सही एवं नियमानुसार है। अतः भूखण्ड संख्या 10 का आवंटन कूटरचित एवं विधिविरूद्ध होने का कोई ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल होने के कारण निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमारे होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर